न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00234 (234/2019) 223 आरटीएक्ट

1. मुंशीराम पुत्र श्री कुन्दनलाल, जाति जाट, निवासी 3 एसपीएम, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।
2. भादरराम पुत्र श्री कुन्दनलाल, जाति जाट, निवासी 3 एसपीएम, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ। ––अपीलांट

बनाम

1. रेशमा पुत्री श्री कुन्दनलाल पत्नी भूप सिंह, जाति जाट, निवासी बनवाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
2. फूली देवी पुत्री श्री कुन्दनलाल पत्नी राजाराम, जाति जाट, निवासी बनवाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
3. लीलूराम पुत्र श्री कुन्दनलाल जाति जाट, निवासी सरदारपुरा, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।
4. ताराचन्द पुत्र श्री खिराज, जाति जाट निवासी प्रेमनगर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर। –रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.03.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 35/2012 बअनवानी रेशमा आदि बनाम भादरराम आदि

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–27.10..2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य ... व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष धारा ... अधिनियम ... के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद में कथन ... कि वादीगण व प्रति...

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं, जिनके पिता कुन्दनलाल के नाम चक 3 एसपीएम ए में कुल 47.08 बीघा भूमि अनकमाण्ड दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का ब.हि.ब. हक व हिस्सा के अधिकारी होने का कथन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने साजबाज कर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली जिससे वादीगण के अधिकारों का हनन हो रहा है। वादीगण ने वादपत्र में विवादग्रस्त भूमि में घोषणा एवं खाता विभाजन करने एवं भू राजस्व अलग अलग कायम किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब दावा पेश हुआ। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार राजस्व रावतसर को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश फरमाया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट द्वारा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 21.08.1988 व चक 3 एसपीएम के प. नं. 217/425, किला नं. 16 ता 19, 22 ता 25 कुल 8 बीघा, पत्थर नम्बर 217/426 किला नं. 2, प0 नं0 218/425, किला नं. 11 ता 13, 18 ता 20 कुल 15 बीघा भूमि दिनांक 21.07.1988 को अपीलाण्ट के पक्ष में आवंटित हुई थी जिसकी खातेदारी भी अपीलाण्ट का प्राप्त हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2012 की पूर्व की भूमि है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 15एएए के तहत अपीलाण्ट को दिनांक 27.01.1988 को सहायक कलक्टर नोहर द्वारा दिये जा चुके हैं जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया हैं। रेस्पोडेण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई पैतृक हक हिस्सा निहित नही है। अपीलाण्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि की समस्त बकाया राशि राज्य सरकार को अदायगी की गई है। इसी क्रम में प्रश्नगत भूमि के समस्त अधिकार अपीलाण्ट में समाहित हो चुके हैं जो कि अपीलाण्ट की स्वअर्जित कृषि भूमि है। अपीलाण्ट को प्रारम्भिक डिक्री का ज्ञान नहीं रहा । अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट को यह बताया गया कि पत्रावली प्रक्रियाधीन है किन्तु दिनांक 30.11.2019 को पटवार हल्का द्वारा अपीलाण्ट को अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार रावतसर द्वारा आदेश आया है कि अपीलाधीन निर्णय की पालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत भूमि का अच्छी से अच्छी व मंदी से मंदी अपीलाण्ट व रेस्पाडेंट में बंटवारा कर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अगले दिन अपने अधिवक्ता से कोर्ट में आकर सम्पर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में पत्रावली का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपीलाण्ट को अवगत करवाया गया कि जिस पर अधिवक्ता नियुक्त कर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने मिथ्या कथन किये हैं। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की उपस्थिति में व अपीलाण्ट की पूर्ण जानकारी में दिनांक 28.03.2017 को पारित की गई थी जिसके आदेश परित होने के दिनांक से ही अपीलाण्ट को जानकारी रही है विचारण न्यायालय के समक्ष वाद 23.02.2012 से विचाराधीन था ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को हल्का पटवारी से ज्ञान होने का कथन कतई मिथ्या किया है जो किसी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्ट नही है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता को ज्ञान होने पक्षकार को भी ज्ञान होने की अवधारणा होने से अपील लगभग 990 दिवस देरी से प्रस्तुत की गई है। इस घोर लापरवाही पूर्ण देरी को कन्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है लिहाजा इस प्रकार की देरी को अपीलाण्ट कन्डोन करवाने के अधिकारी नही है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2012 की आरजी काश्त पूर्व की भूमि है जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि भूमि पैतृक सम्पति थी तथा उसमें वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का ब0हि0ब0 का हक था। पैतृक भूमि में पुत्रियों का भी हक है। धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने की कोई मियाद नही है। इन धाराओं में कभी भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरउी 1991 पेज 468, आरआरटी 2017 (1) पेज 117, आरआरडी 14.03.2017 पेज 148 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार [illegible] करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो[illegible] अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एक वाद पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

किया। वाद में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं, जिनके पिता कुन्दनलाल के नाम चक 3 एसपीएम ए में कुल 47.08 बीघा भूमि अनकमाण्ड दर्ज कागजात है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित करने व अच्छी मंदी के हिसाब से भूमि का विभाजन करने एवं भू राजस्व अलग अलग कायम किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण की तरफ से जवाब दावा पेश हुआ। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2017 पारित करते हुए तहसीलदार राजस्व रावतसर को कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन का आदेश फरमाया। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 04.12.2019 को 990 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं जिनके वकालतनामे अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में उपलब्ध है। अतः अपीलाण्ट्स का यह तर्क स्वीकार योग्य नही है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं रहा है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं और अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान रहा है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2012 की आराजी काश्त पूर्व की भूमि है जिस पर कुन्दन लाल के नाम से लगातार काबिज व काश्त होने तथा बतौर विरास्तन भूमि मुंशीराम के नाम से खातेदारी अधिकार जारी किये गये हैं जबकि धारा 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पुत्रियों को पुत्रों के समान बराबर के हक अधिकार हैं। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि दावा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट ने आरआरडी 14.03.2017 पेज 148 प्रस्तुत की है जिसके मुताबिक धारा 88–188 के दावे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। धारा 88 व 188 का दावा कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील गुणावगुण पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। सहायक कलक्टर एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/x/20

(करतार सिंह पूनीया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील संख्या 2019/00234 (234/2019) 223 आरटीएक्ट

1. मुंशीराम पुत्र श्री कुन्दनलाल, जाति जाट, निवासी 3 एसपीएम, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।
2. भादरराम पुत्र श्री कुन्दनलाल, जाति जाट, निवासी 3 एसपीएम, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

1. रेशमा पुत्री श्री कुन्दनलाल पत्नी भूप सिंह, जाति जाट, निवासी बनवाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
2. फूली देवी पुत्री श्री कुन्दनलाल पत्नी राजाराम, जाति जाट, निवासी बनवाला, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा।
3. लीलूराम पुत्र श्री कुन्दनलाल जाति जाट, निवासी सरदारपुरा, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।
4. ताराचन्द पुत्र श्री खिराज, जाति जाट निवासी प्रेमनगर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.03.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 35/2012 बअनवानी रेशमा आदि बनाम भादरराम आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2, श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज [illegible]7.10.2020 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:19:38 IST
Reason: SelfAttested

(करतार सिंह पूनीयाँ आर. ए. एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner